फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्री वेरू **विपक्षी : श्री उदयलाल**

किस्म मुकदमा –188 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 288/14**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 14.12.2021

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प ढुंढिया में पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता अनुपस्थित रहे हैं। अधिवक्ता वादीगण की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। वादीगण द्वारा प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सं. 1, 2 द्वारा जवाब पेश कर आराजी नम्बर 232 में किसी प्रकार से कब्जा नहीं करने का कथन किया हैं। प्रकरण में आराजी नम्बर 232 वादीगण के नाम हिस्सेनुसार सामलाती दर्ज होकर वादीगण खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादी सं. 1, 2 उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। वादीगण ने अपने वाद में आराजी नम्बर 232 में प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण के हिस्से कब्जे की भूमि एवं आराजी नम्बर 228 किस्म रास्ते को अवरूद्ध कर वादीगण की भूमि में दखलन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराये जाने का निवेदन किया हैं। प्रतिवादी सं. 1, 2 वादग्रस्त आराजीयात 232 के खातेदार काश्तकार नहीं होने से प्रतिवादीगण को वादीगण के हिस्से की भूमि में दखलन्दाजी करने का कोई हक अधिकार नहीं हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 188 राज.का. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा भीलाखेडा पटवार हल्का ढुंढिया की आराजी नम्बर 232 किता 1 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 व 2 वादीगण के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, न ही वादग्रस्त आराजीयात में प्रवेश करे, इस प्रकार के कृत्य किसी भी अन्य व्यक्ति से करावें, वादीगण को अपने हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें। आराजी नम्बर 228 किस्म रास्ते को खुलवाने हेतु तहसीलदार मावली को आदेशित किया जाता है कि राजस्व रेकार्ड के अनुरूप मौके पर रास्ते को खुलवाया जाकर सार्वजनिक रूप से रास्ते को खुला करावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय खुले सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.03 14:12:01 IST
Reason: SelfAttested

(मयंक मनीष IAS)
सहायक कलक्टर
(फा.ट्रे.) मावली

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मयंक मनीष, I.A.S

उनवान

1. श्री वेरू पिता किशोर जाट निवासी मन्नाखेडा तह. मावली।
2. श्री नाथु पिता किशोर जाट निवासी मन्नाखेडा तह. मावली।
3. श्री रामु पिता किशोर जाट निवासी मन्नाखेडा तह. मावली।
4. श्री बोथलाल पिता दयाराम जाट निवासी मन्नाखेडा तह. मावली।
5. श्री गोपीलाल पिता भूरा जाट निवासी मन्ना खेडा तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम

1. श्री उदयलाल पिता जयचन्द जाट निवासी मन्नाखेडा तह. मावली।
2. श्री नगजीराम पिता उदयलाल जाट निवासी मन्नाखेडा तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 288/14 (वाद) GCMS No. – 2014/00013

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मयंक मनीष, I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 188 राज. का. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा भीलाखेडा पटवार हल्का ढुंढिया की आराजी नम्बर 232 किता 1 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 व 2 वादीगण के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, न ही वादग्रस्त आराजीयात में प्रवेश करे, इस प्रकार के कृत्य किसी भी अन्य व्यक्ति से करावें, वादीगण को अपने हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें। आराजी नम्बर 228 किस्म रास्ते को खुलवाने हेतु तहसीलदार मावली को आदेशित किया जाता है कि राजस्व रेकार्ड के अनुरूप मौके पर रास्ते को खुलवाया जाकर सार्वजनिक रूप से रास्ते को खुला करावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 14.12.2021 को जारी की गई।

(मयंक मनीष IAS)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.03 14:12:04 IST
Reason: SelfAttested